न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01/2020 अपील/प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00001)
पंजीयन दिनांक– 09.01.2020
निर्णय दिनांक– 28.10.2020

श्री अमृतराम शर्मा पिता श्री मांगीलाल शर्मा, निवासी अमलावद तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, देवगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट

अधिवक्ता :
श्री पी. सी. पालीवाल :अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक :अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 27.06.2019

निर्णय

दिनांक– 28.10.2020

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 09.01.2020 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि ग्राम अमलावद की आराजी संख्या 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि में अपीलांट का विगत कई वर्षो से कृषि, आवास एवं बाडा के रूप में राजकीय भूमि पर अतिचारी/अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 76/2017 से राजस्थान भू–राजस्व राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) एवं (6) के तहत दिनांक 05.02.2018 को नोटिस जारी किये गये। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय नायब तहसीलदार, देवगढ़ के समक्ष दर्ज उक्त प्रकरण में नियत तारीख पेशीयों पर उपस्थित हो जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा प्रकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस हेतु निवेदन किया गया था। किन्तु न्यायालय द्वारा अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र का समुचित निस्तारण किये बिना ही बेदखली के आदेश दिनांक 10.10.2017 को पारित कर दिये जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 27.06.2019 से अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, देवगढ़ का निर्णय यथावत रखते हुए बेदखली के आदेश दिया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.06.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया ***"बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों, जवाब अपील पैरोकार सरकार, अधीनस्थ से निर्णित प्रकरण संख्या 72/2017, 73/2017, 76/2017, 77/2017, 79/2017 की आदेशिकाएं तथा निर्णय दिनांक 10.10.2017 एवं 18.09.2017 नकल जमाबंदी संवत 2068–2071 आराजी संख्या 542, 564, 568 एवं विविध दस्तावेज, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्युत कनेक्शन एवं*** PHED ***के बिल, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णित डी.बी. सिविल रिट संख्या 446/2019 आदेश दिनांक 15.01.2019 एवं रिव्यु डी.बी. सिविल रिट संख्या 55/2019 (446/2019) आदेश दिनांक 06.03.2019 के साथ–साथ पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों के तहत किया गया।***

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रकरण में वर्णित आराजी संख्या 542 रकबा 1.24 हैक्टेयर, आराजी संख्या 564 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर कुल किता 3 संपूर्ण रकबा 2.85 हैक्टेयर किस्म चरनोट दर्ज होना दर्शित रेकार्ड पाया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि आराजी संख्या 542 रकबा 1.24 हैक्टेयर, आराजी संख्या 564 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर कुल किता 3 संपूर्ण रकबा 2.85 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि/भू–खण्डों की भूमि उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ क्रमांकः– राजस्व/2019/48 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार उक्त भूमियां किस्म चरागाह दर्ज होने तथा अनाधिकृत अतिक्रमित भूमियां होने से अपीलार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही प्रभावी रखा जाना युक्ति–युक्त प्रतीत होता है।

इस स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा अतिक्रमित भूमि वर्तमान चरनोट आराजी संख्या 542 रकबा 1.24 हैक्टेयर, आराजी संख्या 564 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर कुल किता 3 संपूर्ण रकबा 2.85 हैक्टेयर किस्म चरनोट में से अधिकांश अपीलार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति अधिकार कृषि एवं आवासीय व अन्य प्रयोजनार्थ अधिभोग में लिया जा रहा है जिससे उक्त भूमि पर हुए अतिक्रमण के फलस्वरूप आगामी समय में ग्राम की चरागाह भूमियों की उपलब्धता में बाधा उत्पन्न होगी तथा उक्त भूमि के राजकीय प्रयोजनार्थ अधिगृहण की स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा बिना बजह बाधाए उत्पन्न की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 कार्यवाह को उचित रहा है।

साथ ही दौरान बहस पैरोकार द्वारा किये गये अनुसार ग्राम की आराजी संख्या 542 रकबा 1.24 हैक्टेयर, आराजी संख्या 564 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर कुल किता 3 संपूर्ण रकबा 2.85 हैक्टेयर किस्म चरनोट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट संख्या 446/2019 अंतर्गत पारित निर्णय दिनांक 15.01.2019 के अनुसार भी उक्त भूमियों के अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जारी किये हुए है एवं उक्त भूमियां ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित आबादी विस्तार प्रकरण में अंकित नहीं है तथा उक्त किस्म भूमियों पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णित प्रकरण

संख्या 1536 अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय भी लागु होने से उक्त भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार, देवगढ़ को निर्देश दिये कि ग्राम अमलावद की आराजी संख्या 542 रकबा 1.24 हैक्टेयर, आराजी संख्या 564 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर कुल किता 3 संपूर्ण रकबा 2.85 हैक्टेयर किस्म चरनोट की भूमियों को अतिक्रमण से नियमानुसार मुक्त करावें तथा पुनः अतिक्रमण नहीं हो एसी व्यवस्था करावें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्षों की बहस दिनांक 22.10.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम अमलावद के गरीब पिछडें वर्ग के मूल निवासी द्वारा विवादित भूमि पर विगत 40–50 वर्षो से अपने कृषि आवास एवं पशुगृहों तथा मकान बाडों का निर्माण निर्विरोध तरीके से ग्राम पंचायत की सहमती से एवं उक्त ग्राम पंचायत के मूल निवासी की हैसियत से करता चला आ रहा है तथा विवादित भूमि विगत 40–50 वर्षो से कृषि एवं आबदी के रूप में ही काम में ली जा रही है जबकि भूमि की किस्म चरनोट दर्ज रहते कई व्यक्तियों के बाप दादाओं के समय से उपयोग–उपभोग हेतु तत्कालीन प्रचलित विधियां के तहत कृषि तथा मकान बाडों के रूप में काम ली जाती है। अतः उक्त भूमि के कृषि एवं आवासीय प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा अतिचारी/अतिक्रमी के रूप में अतिक्रमित भूमि किस्म चरनोट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की होने से उक्त भूमि को नियमन/आवंटन

नहीं किया जा सकता है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत प्रस्तावित कार्यवाही समुचित होने से तथा उक्त भूमि के संबंध में अन्य ग्रामवासियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट संख्या 446/2019 अंतर्गत पारित निर्णय दिनांक 15.01.2019 की पालना स्वरूप की गई कार्यवाही है। नायब तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि के प्रतिबंधित श्रेणी किस्म तलाई दर्ज होने से अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 विधिपूर्ण होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपील करीबन दो माह के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन, अखण्डित शपथ–पत्र व न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस दिये गये आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के तहत उसके द्वारा विवादित आराजीयात के नामान्तकरण पंजिका जिससे उक्त भूमि बिलानाम से चारागाह बनी, जो वर्ष 1958 के आदेश से पंचायत द्वारा वर्ष 1962 में नामान्तकरण स्वीकार किया गया, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि तथा जमाबंदी सम्वत् 2012–15 की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उक्त भूमि आराजी नम्बर 215 बिलानाम दर्ज है, की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। उक्त दोनों दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि होने एवं प्रासांगिक होने से न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर उपरोक्त दोनों दस्तावेजात रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट का उज्र यह है कि आराजी नम्बर 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर पर उसके नाजायज कब्जे से उप तहसीलदार देवगढ़ द्वारा उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश 10.10.2017 एवं प्रथम अपील का जिला कलक्टर द्वारा दिया गया आदेश 27.06.2019 विधिविरूद्ध है। उक्त आदेशों के विधिविरूद्ध होने के लिए उसके द्वारा जो प्रमुख उज्र उठाये गये हैं, उन पर हमारी विवेचना निम्नानुसार है –

''अपीलाण्ट का उज्र यह है कि उसने उप तहसीलदार देवगढ़ के यहां उपस्थित होकर अपने कब्जे के 50–60 वर्ष पुराना होना बताया तथा इस हेतु साक्ष्य भी दी परन्तु उप तहसीलदार देवगढ़ द्वारा उसे बेदखली का आदेश बिना साक्ष्य लिये कर दिया एवं उक्त आदेश की प्रथम अपील में भी जिला कलक्टर द्वारा उसके अपील आवेदन पर बिना विचारण किये निर्णय कर दिया।''

हमारे द्वारा उप तहसीलदार देवगढ़ की पत्रावली संख्या 76/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 का अवलोकन किया तो यह पाया कि उप तहसीलदार के नोटिस पर दिनांक 18.09.2017 को अपीलाण्ट स्वयं उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा साक्ष्य हेतु समय चाहा गया तथा आगामी दिनांक पर अपीलाण्ट दिनांक 10.10.2017 को उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए लिखित जबाब एवं साक्ष्य भी प्रस्तुत की जिसमें उसके द्वारा सबसे पुराना जो प्रासांगिक दस्तावेज है, उसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव वर्ष 1984 का जिसमें विवादित आराजी को बिलानाम से चारागाह किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं इसके अलावा सबसे पुराने अतिक्रमण का नोटिस वर्ष 1990 एवं 1991 से संबंधित है। इसके पश्चात्वर्ती वर्षों में इसी आराजी पर अतिक्रमण हेतु कार्यवाहियां किये जाने की भी प्रमाणित साक्ष्य पत्रावली पर उलपब्ध है। उप तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में अपना निर्णय दिनांक 10.10.2017 को पारित करते हुए अपीलाण्ट को बेदखली का आदेश पारित किया है। प्रकरण में विधिक स्थिति इस प्रकार है कि चारागाह भूमि पर तत्समय में प्रचलित नियमानुसार वर्ष 1971–72 से निरन्तरण अतिक्रमण होने पर चारागाह नियमन योग्य थी। हालांकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जगतपालसिंह के प्रकरणानुसार चारागाह को निजी प्रयोजनार्थ नियमन नहीं किया जा सकता परन्तु तत्समय भी चारागाह के नियमन के लिए वर्ष 1971–72 से निरंतर नियमन हेतु कब्जा होना वांछनीय था अर्थात् तत्समय भी अपीलाण्ट द्वारा वर्ष 1971–72 से उसके अतिक्रमण होने की कोई साक्ष्य नहीं थी, न ही उक्त चारागाह भूमि को बिलानाज दर्ज किये जाने का कोई सक्षम आदेश प्रचलित था एवं तद्नुसार उप तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट की बेदखली का जो आदेश पारित किया गया, उसमें हम अपीलाण्ट के उजरात में कोई विधिक सारभूत तथ्य नहीं पाते। अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील जो जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत की गयी, उसमें भी यही तथ्य उपलब्ध थे,

जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अपील खारिज की गयी एवं तद्नुसार हम जिला कलक्टर के निर्णय में भी अपीलाण्ट के इस उज्र के सन्दर्भ में कोई तथ्यात्मक/विधिक बल नहीं पाते।

"अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि उप तहसीलदार देवगढ़ का निर्णय अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में साइक्लोस्टाइल पेपर पर फिल इन द ब्लेंक के रूप में की गई है जो विधिक निर्णय नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा इस हेतु न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1996 पेज 480 प्रस्तुत की है।"

अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्व मुद्रित प्रविष्टियां किया जाकर किया गया है परन्तु उक्त आदेश में कोई विधिक अनियमितता हो, ऐसा तथ्य रेकर्ड पर नहीं है, तद्नुसार अपीलाण्ट के इस उज्र में कोई बल नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपना लिखित जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है परन्तु उन लिखित तथ्यों एवं साक्ष्यों से किसी विधिक बल के आधार पर उसे अतिक्रमण से बेदखल नहीं किया जाये, इस हेतु उसके द्वारा कोई विधिक प्रावधानों को अभिव्यक्त नहीं किया गया है। अतएवं चारागाह पर अनाधिकृत कब्जे को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता।

"अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि वह इस भूमि पर गत 50–60 वर्षों से काश्त कर रहा है तथा इस भूमि पर उसका मकान बना हुआ है एवं पंचायत ने इस भूमि को बिलानाम किये जाने हेतु प्रस्ताव भी ले रखा है। "

पत्रावलियों के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का 50–60 वर्ष से कब्जा होने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव ले लेने से या हो जाने से चारागाह भूमि को बिलानाम नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसके लिए कोई सक्षम आदेश पारित नहीं किये गये हो।

"अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अन्य प्रकरणों में जिला कलक्टर द्वारा भूमियों को नियमन योग्य मानकर रिमाण्ड की गई है।"

जिला कलक्टर के अन्य प्रकरणों के निर्णय भी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु अन्य प्रकरणों की पूर्ण पत्रावलियां इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं है तथा प्रत्येक प्रकरण उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा अपील में निर्णय किये जाते हैं। हमारे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों की पत्रावलियां उपलब्ध नहीं है तथा उन प्रकरणों की इस प्रकरण से सम्यता बाबत् सम्यक् विवेचना एवं तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमारे पास तथ्य उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र भी समाहित योग्य नहीं है।

अपीलांट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें RRD 2005 पेज 221 प्रस्तुत की है जो मूलतः कमाण्ड ऐरिया से संबंधित होकर साईक्लोस्टाईल आदेशों से संबंधित है जो इस प्रकरण के तथ्यो से साम्यता नहीं रखते है। अपीलांट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर RDJ 2014 पेज 385 प्रस्तुत की है जो रिव्यू से संबंधित है अतएव इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उप तहसीलदार देवगढ़ द्वारा एवं प्रथम अपील में जिला कलक्टर द्वारा चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने/अपीलाण्ट की प्रथम अपील खारिज करने के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर